फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री लक्ष्मण पिता भैरूलाल भांबी निवासी सहनवा

बनाम

श्री विश्वनाथ पिता सखीचन्द गुप्ता निवासी हाल मुकाम चाचा होटल जाटों की धनेत सरहद के पास वगैरा

G.C.M.S. no.– 2016/00075 प्रकरण संख्या 01/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाज लगवाई गई उसके पश्चात् भी निगराकार एवं उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। उक्त प्रकरण में पूर्व में भी अधिवक्ता निगराकार के अनुपस्थित रहने से उन पर दिनांक 24.07.18 को 500/–रू. की कोस्ट लगाई जा चुकी है जो कि उनके द्वारा जमा नहीं कराए जाने से उक्त कोस्ट को दिनांक 13.08.2019 को दुगुना कर कोस्ट राशि 1000/– रू. की गई, जो कि उनके द्वारा आदिनांक तक जमा नहीं करवाई गई है तथा उनके द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गई है एवं अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं। निष्कर्षतः अधिवक्ता निगराकार प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ	